न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलासः–मोनिका सामोर, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 49/2010

1. गिरधारी लाल पुत्र भैंरूराम जाति बलाई निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला दांतारामगढ़ जिला सीकर।

– वादी

वनाम

1. रूडी देवी पुत्री नानूड़ा उर्फ नानूराम
2. लिछमी देवी पुत्री नानूड़ा उर्फ नानूराम

(1–2) जाति बलाई निवासीगण खाटूश्यामजी तह0 दांतारामगढ़ सीकर।

3. शांति देवी धर्मपत्नि कालूराम जाति नायक निवासी लामियां तह0 दांतारामगढ़।
4. कालूराम पुत्र किशनाराम जाति नायक निवासी लामियां तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
5. रामेश्वर पुत्र कानाराम (फौत)

5/1. अशोक कुमार
5/2. राजेन्द्र
5/3. मुकेश

(5/1–5/3) पुत्रगण रामेश्वर

5/4. किरण पुत्री रामेश्वर
5/5. श्रवणी देवी पत्नि रामेश्वर

(5/1–5/5) समस्त जाति बलाई निवासीगण खाटूश्यामजी तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर

6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर।
7. नानची देवी पत्नि बिड़दीचंद जाति बलाई निवासीनी गिलों की ढ़ाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।
8. कोमल पुत्री सुरेश जाति बलाई

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड संशोधन

उपस्थिति–

1. श्री शिवपाल सिंह, वकील वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र विश्राम हाजिर आये।
3. प्रतिवादी संख्या 1 ता 6, 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

२३ $\frac{12}{25}$	पत्रावली प्रार्थी गिरधारी के जरिये अधिवक्ता के मिसल तलबी आवेदन पर आज पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर। तहसीलदार

दातारामगढ़ से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त।
शा० मिसल रहे। वकील उभयपक्ष ने मुताबिक
बंटवारा प्रस्ताव अंतिम डिक्री जारी करने
हेतु आदेशिका पर सहमति जाहिर की।
अतः वकील उभयपक्ष के निवेदन पर
वादवादी विरुद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक
बंटवारा प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री
किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक
से टंकण करा शा० मिसल रहे। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़